

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या DoH/SS/70/2026 पी.पी.ओ. - 80 - /कृ०, पटना, दिनांक - 08.09, 2026
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(1) अनौपचारिक
रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय :

राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 तक दो वर्षों के लिए कुल 662.70500 लाख (छः करोड़ बासठ लाख सत्तर हजार पांच सौ) रुपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 497.18500 लाख (चार करोड़ सत्तानवे लाख अठारह हजार पांच सौ) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 तक दो वर्षों के लिए कुल 662.70500 लाख (छः करोड़ बासठ लाख सत्तर हजार पांच सौ) रुपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 497.18500 लाख (चार करोड़ सत्तानवे लाख अठारह हजार पांच सौ) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 5 जिलों यथा—किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार एवं पूर्णियाँ के इच्छुक कृषकों को चाय की खेती के क्षेत्र विस्तार एवं मौजूदा चाय बागान के प्रबंधन हेतु आवश्यक अनुदान देकर चाय के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषकों के आय में वृद्धि करना है। किशनगंज से भिन्न अन्य जिलों के कृषकों के द्वारा Tea Reasearch Institute, Tocklai, Jorhat, Nagrakata में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है एवं प्रशिक्षित कृषक चाय के क्षेत्र विस्तार हेतु इच्छुक हैं।
3. चाय की खेती माह अप्रैल—जून एवं सितम्बर—नवम्बर में की जाती है। राज्य में करीब 6000 हे० में चाय की खेती की जाती है। राज्य के जिला किशनगंज एवं उसके आस-पास के जिले का जलवायु चाय की खेती के लिए मुख्यतः उपयुक्त है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में चाय की वाणिज्यिक गुणों एवं बाजार मूल्य के उचित उपयोग तथा रोजगार सृजन के दृष्टिगत चाय के क्षेत्र विस्तार की योजना है।
4. चाय क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम कृषक/कृषक समूह/एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. के माध्यम से कराया जायेगा। चाय का क्षेत्र विस्तार के लिए चाय का पौध रोपण सामग्री का क्रय स्वयं कृषक के द्वारा किया जायेगा।
5. इस योजना अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची -01 के रूप में संलग्न है।

6. इस योजना अन्तर्गत घटकवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

(क) चाय का नया क्षेत्र विस्तार - इस घटक अन्तर्गत जमीन की समतलीकरण, गड्ढे का निर्माण, पौध रोपण सामग्री, समेकित पोषण प्रबंधन एवं समेकित कीट-व्याधि प्रबंधन, शष्प क्रियाएं इत्यादि पर व्यय होने वाली निर्धारित कुल लागत राशि 4.94 लाख (चार लाख चौरानवे हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.47 लाख (दो लाख सैंतालीस हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दो किस्तों (75:25) में दिया जायेगा। प्रति हेक्टेयर कुल अनुदान की राशि 2.47 लाख (दो लाख सैंतालीस हजार) रुपये का 75 प्रतिशत 1.8525 लाख (एक लाख पचासी हजार दो सौ पचास) रुपये प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु भुगतान की जायेगी एवं द्वितीय किस्त के रूप में प्रति हेक्टेयर कुल अनुदान की राशि 2.47 लाख (दो लाख सैंतालीस हजार) रुपये का 25 प्रतिशत 0.6175 लाख (इकसठ हजार सात सौ पचास) रुपये वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगाये गये पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के भौतिक सत्यापनोपरांत जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। चाय की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर 15556 पौधे की आवश्यकता होगी। इस योजना अन्तर्गत चाय के क्षेत्र विस्तार के लिए इकाई लागत दिनांक-23.06.2021 को हुई यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा निर्धारित है।

(ख) मौजूदा चाय बागान प्रबंधन के लिए अन्य हॉर्टिकल्चर अवयव :- इस घटक अन्तर्गत लीफ कलेक्शन शेड को सम्मिलित किया गया है। लीफ कलेक्शन शेड हेतु इकाई लागत के रूप में टी बोर्ड ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित इकाई लागत को लिया गया है। लीफ कलेक्शन शेड अंतर्गत अनुदान का भुगतान निर्धारित इकाई लागत 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रुपये का 50% अर्थात् अधिकतम 0.375 लाख (सैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये अथवा आवेदक द्वारा जमा किये गए बिलों/विपत्र में अंकित वास्तविक राशि का 50% या दोनों में से जो राशि न्यूनतम होगा, वह राशि ही आवेदक को अनुदान के रूप में देय होगा। चाय का नया क्षेत्र विस्तार अवयव के लाभुक लीफ कलेक्शन शेड के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे। इस अवयव का शत-प्रतिशत सत्यापन जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ग) चाय उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :- इस घटक अन्तर्गत चाय की खेती योजना अंतर्गत प्रत्येक जिलों से 05-05 किसानों/चाय उत्पादकों यानि कुल 25 किसानों के समूह को प्रत्येक वर्ष एक-एक प्रशिक्षण (कुल दो प्रशिक्षण), चाय प्रशिक्षण से संबंधित केन्द्र यथा Tea Research Institute, Tocklai, Jorhat, Nagrakata में कराया जायेगा। इस हेतु अधिकतम 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार) रुपये प्रति प्रशिक्षण राशि देय होगी।

7. जिन कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षों के अन्दर इस योजना का लाभ लिया जा चुका है, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना अन्तर्गत किसी भी घटक का लाभ नहीं दिया जायेगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे।

9. इस योजना हेतु स्वीकृत राशि केवल सामान्य मद से निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की राशि अन्य योजनाओं में व्यय किया जाएगा)।

10. इस योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

11. योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश पूर्व से निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश पत्रांक-1688 दिनांक-23.06.2025 के अनुरूप रहेगा।

Sw 8

SP

2

12. इस योजना अन्तर्गत सृजित मानव कार्य दिवस की संख्या प्रति हेक्टेयर 2697 की दर से कुल 712008 होगी।
13. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, होंगे। निदेशक उद्यान समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।
14. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनुरूची-02 के अनुसार वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC-25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।
15. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना कार्यान्वयन के क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर आवश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्तन किया जा सकेगा।
17. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-3301 सब्सिडी।	10916.40	497.18500
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष - 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130-3301 सब्सिडी	2112.00	00.00000
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 - उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-3301 सब्सिडी	171.60	00.00000
कुल योग	13200.00	497.18500

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-10.08.2026 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग का संकल्प संख्या-973 दिनांक-12.08.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-19.08.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या- DoH/SS/70/2026 के पृष्ठ संख्या-24/टि० पर दिनांक-07.09.2026 को प्राप्त है।
19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- DoH/SS/70/2026 के पृष्ठ संख्या-22/टि० पर दिनांक-27.08.2026 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या-586 दिनांक-27.08.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—DoH/SS/70/2026—पी.पी.एम.-80-/कृ०, पटना, दिनांक— 08.09. 2026
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अकंक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र
पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—DoH/SS/70/2026—पी.पी.एम.-80-/कृ०, पटना, दिनांक— 08.09. 2026
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—DoH/SS/70/2026—पी.पी.एम.-80-/कृ०, पटना, दिनांक— 08.09. 2026
प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—DoH/SS/70/2026—पी.पी.एम.-80-/कृ०, पटना, दिनांक— 08.09. 2026
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/
कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी
मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार,
पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक,
उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित
पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—DoH/SS/70/2026—पी.पी.एम.-80-/कृ०, पटना, दिनांक— 08.09. 2026
प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग,
बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार
पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 तक दो वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली चाय चाय विकास योजना

संबंधित कार्य योजना

(भौतिक - हेक्टेयर / संख्या में, वित्तीय - लाख रुपये में)

क्र० सं०	अवयव	इकाई	इकाई लागत	अनुदान	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2026-27)	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2027-28)	कुल वित्तीय लक्ष्य	कार्यान्वयन
1	चाय का नया क्षेत्र विस्तार								
a	किशनगंज	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	250	463.12500	154.37500	617.50000	
b	पूर्णिमा	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	5	9.26250	3.08750	12.35000	
c	सुपौल	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	5	9.26250	3.08750	12.35000	
d	अररिया	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	2	3.70500	1.23500	4.94000	
e	कटिहार	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	2	3.70500	1.23500	4.94000	
	कुल				264.00000	489.06000	163.02000	652.08000	
2	गौजदा चाय बागान के लिए अन्य हॉर्टिकल्चर अवयव।								
a	Leaf Collection Shed	संख्या	0.75	50%	15	5.62500	-	5.62500	केवल किशनगंज जिला के कृषकों के लिए
b	प्रशिक्षण	संख्या	2.5	-	2	2.50000	2.50000	5.00000	किशनगंज जिला के साथ-साथ सुपौल, अररिया, कटिहार, एवं पूर्णियाँ के कृषकों का प्रशिक्षण।
	कुल				17	8.12500	2.50000	10.62500	
A	सकल योग (1+2)					497.18500	165.52000	662.70500	

बिजय कुमार पंडित

(छ: करोड़ बासठ लाख सत्तर हजार पांच सौ) रुपये मात्र।

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची :- 02

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना के तहत चाय विकास योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

क्र० सं०	जिला/कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2026-27)				
		वित्तीय लक्ष्य	श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज	471.25000	471.25000	0.00000	0.00000	471.25000
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ	9.26250	9.26250	0.00000	0.00000	9.26250
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल	9.26250	9.26250	0.00000	0.00000	9.26250
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया	3.70500	3.70500	0.00000	0.00000	3.70500
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	3.70500	3.70500	0.00000	0.00000	3.70500
कुल		497.18500	497.18500	0.00000	0.00000	497.18500

बिजय कुमार पंडित

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना

(अभिषेक कुमार)

